न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दां0प्रक0क0-157 / 14</u> <u>संस्थित दि0 06 / 03 / 14</u> फाईलनं0 233504002542014

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-: विरूद्ध :--

बसंत पिता बाबू यादव, उम्र 40 वर्ष, जाति गौली, पेशा कृषि, नि0ग्राम माहोली, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0),

<u>----अभियुक्त.</u>

<u>—: निर्णय :—</u> (<u>आज दिनांक—07 / 10 / 2016 को घोषित)</u>

- 1— अभियुक्त बसन्त के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा 304 "ए" के तहत् अभियोग है कि दिनांक 14.02.14 के शाम 05:00 बजे ग्राम माहोली कान्हा गौली के खेत के पास, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अन्तर्गत टेक्टर कं. एम.पी. 48/एम 1096 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर उसमें बैठे रेवाराम को गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वद्य की कोटि में नहीं आती।
- 2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम जमदेही खुर्द रहता है। किसानी करता है कि उसका छोटा भाई रेवाराम ग्राम माहोली के बसन्त यादव के यहां गन्ना फसल काटने आया था। दिन शुक्रवार दिनांक 14/02/14 के शाम की करीबन 5 बजे की बात है। उसका भाई माहोली के बसन्त यादव के टेक्टर कमांक एम0पी0 48/एम 1096 में गन्ना भरकर उसी के खेत से गन्ना घाना में वो जा रहा था टेक्टर बसन्त यादव निवासी माहोली चला रहा था कि उसका भाई टेक्टर की बोनट पर बैठा था जो बोनट से नीचे गिर गया था। जिससे उसे चेहरे व कमर में चोट आने से घायल हो गया था। उसके गिरने की सूचना उसकी लडकी लिलता ने घर आकर बताया था। उसके भाई रेवाराम को जीप से बैतूल उपचार कराने ले जा रहे थे कि रास्ते में उसका भाई फौत हो गया। उसकी लाश लेकर घर आ गए।

3— मर्ग कं. 10/14 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार किया गया। जिसके आधार पर अप०कं. 153/14 अंतर्गत धारा 304 'ए' भा०द०वि० का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मर्ग इन्टीमेशन प्र०पी० प्र०पी० 1 है। मृत्यु जांच पंचायतनामा प्र०पी० 4 है। नक्शा पंचायतनामा प्र०पी० 3 है। शव परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया। दिनांक 18/02/14 का घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। दिनांक 02/03/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफतारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहां कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1— ''आपने दिनांक 14.02.14 के शाम 05:00 बजे ग्राम माहोली कान्हा गौली के खेत के पास, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अन्तर्गत टेक्टर कं. एम. पी. 48 / एम 1096 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर उसमें बैठे रेवाराम को गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वद्य की कोटि में नहीं आती?''

—ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी बालकराम (अ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि मृतक रेवाराम उसका छोटा भाई था। घटना के समय उसका भाई आरोपी बसंत के टैक्टर के बोनट में बैठकर गन्ना छिलने जा रहा था। घटना के समय आरोपी बसंत टैक्टर चला रहा था। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसे नहीं मालूम कि आरोपी ने टैक्टर कितनी स्पीड में चलाया था। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसका भाई टैक्टर से नीचे गिर गया नीचे गिरने से उसे चोट आई। उसे घर आकर तुलसीराम ने बताया कि तुम्हारा भाई टैक्टर से गिर गया है और उसे बैतूल लेकर जा रहा है खबर सुनकर वह मोटर साईकिल से बैतूल जाने लगा, लेकिन रास्ते में पता चला कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है तो फिर वह वापस आ गये है। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 14/02/14 को आरोपी बसंत ने टैक्टर कं. एम०पी० 48 एम 1096 को तेज गति एवं लापरवाही से चलाया था जिसके कारण उसका भाई नीचे गिर गया था और उसी बाद में मृत्यु हो गई थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि घटना कैसे हुई उसे जानकारी नहीं है।

आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि उसने देखा ही नहीं। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस का यह बताया था कि उसने घटना नहीं देखी उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। जबिक यह गवाह स्वयं मृतक का भाई है और इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से घटना का समर्थन नहीं किया है।

- 7— अभियोजन साक्षी अलीसा धुर्वे (अ०सा०२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि मृतक रेवाराम उसके बड़े पिताजी का लड़का था। घटना के समय वह घर पर था पता लगा कि रेवाराम बीमार है खबर सुनकर उसके घर गया वह नहीं मिला फिर वह आमला आये तो तक उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि रेवाराम की मृत्यु कैसे हुई थी इसकी उसे जानकारी नहीं है। शासन की ओर से पक्षिविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 14/02/14 को आरोपी बसंत ने टैक्टर कं. एम०पी० 48 एम० 1096 को तेजगति एवं लापरवाही से चलाया था जिसके कारण उसका भाई रेवाराम नीचे गिर गया था और उसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्र०पी० 2 का ए से ए भाग का बयान दिया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका कं. 3 में यह स्वीकार किया है कि घटना कैसे हुई उसे जानकारी नहीं है। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि उसने देखा नहीं। जबकि यह गवाह मृतक के बड़े पिताजी का लड़का है और इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से घटना का समर्थन नहीं किया है।
- 8— अभियोजन साक्षी तुलसीराम (अ०सा०३), अभियोजन साक्षी सुनिल (अ०सा०४), अभियोजन साक्षी कु० लिलता (अ०सा०५), अभियोजन साक्षी रामा यादव (अ०सा०६)ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन किया गया।
- 9— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने टेक्टर कं. एम. पी. 48/एम 1096 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर उसमें बैठे रेवाराम को गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वद्य की कोटि में नहीं आती। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।
- 10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने टेक्टर कं. एम. पी. 48 / एम 1096 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर उसमें बैठे रेवाराम को गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वद्य की कोटि में नहीं आती। इस प्रकार अभियुक्त बसंत को भा0द0वि0 की धारा— 304 "ए" के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 11— प्रकरण में आरोपी के धारा 313 द०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है। आरोपी का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 12— प्रकरण में जप्तशुदा टेक्टर कं. एम. पी. 48/एम 1096 पूर्व से आवेदक/सुपुर्दार बसंत पिता बाबूराव नि0 माहोली की सुपुर्दगी में है। उक्त वाहन के संबंध में किसी अन्य ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल म0प्र0